अपील सूचना अधिकार संख्या 21/2018 अनवानी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लाला राम जाति ब्राह्मण गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र दिनांक 19.04.2018 को उपस्थित था किन्तु आज उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिहंनगर की ओर से उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके द्वारा दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जो उसे निश्चित समय में उपलब्ध न करवाने के कारण उसके द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पेश की गई है और प्रार्थना की गई है कि लोक सूचना अधिकारी पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ढाई सौ रूपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाये और उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 से निम्न सूचना चाही थीः–

1. **मिसल सन 576/77 गांव खांटा बरानी मुरब्बा नम्बर 85 में 25 बीघा आवंटी का नाम रामकुमार पुत्र सदासुख आवंटन आदेश की सम्पूर्ण मूल पत्रावली की प्रमाणित शुदा दो प्रतियों में।**

2. **मिसल सन 611/77 गावं खाटां बरानी मुरब्बा न0 89 के किला नम्बर 3 ता 6–14 ता 17, 24–25 कुल 10 बीघा आवंटी प्रेमसिंह पुत्र सदासुख आवंटन तिथि 03.02.1987 सम्पूर्ण मूल पत्रावली दो प्रतियों में प्रमाणित शुदा नकल।**

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र संख्या 579 दिनांक 09.04.18 से सूचित किया है कि अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 424 दिनांक 15.03.2018 द्वारा वांछित सूचनाएं के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से सूचित किया है :

21/5/18
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मिसल न. 576/77 आवंटी रामकुमार पुत्र सदासुख निवासी खाटां व मिसल नं 611/77 प्रेमसिंह पुत्र सदासुख निवासी खाटां की मूल आवंटन पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त आवंटन पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। उपरोक्त मूल आवंटन पत्रावलियां अभिलेखागार, अनूपगए में जमा करवाई जा चुकी है। आप अभिलेखागार, अनूपगढ से चाही गई सूचना की सत्य प्रति प्राप्त कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा आवंटन पत्रावलियों 576/77 एवं 611/77 की प्रमाणित प्रतियां चाही थी, जिससें सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख अभिलेखागार, अनूपगढ में जमा करवाये जाने के कारण अपीलार्थी को पत्र दिनांक 15.03.2018 द्वारा अभिलेखागार अनूपगढ से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए नियत अवधि में ही सूचित किया गया है। चूंकि सम्बन्धित अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में अभिलेखागार, अनूपगढ में चाराजाही करनी चाहिए। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध दिया गया उत्तर दिनांक 15.03.2018 सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर